

# तथा माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

क्रमांक-

/2016-17 निगरानी

PBRI निगरानी मन्दसौर भ्र-२०/ २०१७ (1809)

1- पुष्पाबाई पत्तिन स्व०विमलकुमार मारु (महाजन)

2- सिद्धार्थ पुत्र स्व०विमलकुमार मारु (महाजन)

3- विनीत पुत्र स्व०विमलकुमार मारु (महाजन)

4- अभिनन्दन पुत्र स्व०विमलकुमार मारु (महाजन)

5- पियदर्शना पुत्री स्व०विमलकुमार मारु (महाजन)

निवासीगण—मल्हारगढ जिला मन्दसौर (म०प०)

.....निगरानीकर्ता गण

*A.S.I. नरवरीपा, पा. कुमारी*  
इस आज दि 19/06/2017 को

प्रस्तुत

*F* 16/6/17  
बलर्क ऑफ कोर्ट  
शास्त्रीय मण्डल भा.प्र. गवालियर

बनाम

1- किशन पुत्र गंगारामजी बंजारा

निवासी—ग्राम भौसखोडा तहसील मल्हारगढ

जिला मन्दसौर (म०प०)

2- रामप्रसाद पुत्र पभूलालजी चमार

3- रुद्धनाथ पुत्र पभूलालजी चमार

निवासीगण—ग्राम काचरिया नौ तहसील

मल्हारगढ जिला मन्दसौर (म०प०)

4- मूलचन्द पुत्र प्यारचन्द कुलमी

निवासी—ग्राम जोगनी तहसील मल्हारगढ जिला

मन्दसौर (म०प०) .....अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प०भू—राजस्व  
संहिता 1959 बनाराजी आदेश दिनांक—15.12.2016 जो  
न्यायालय तहसीलदार मल्हारगढ जिला मन्दसौर द्वारा  
प्रकरण क्रमांक—1/अ-13/2014-15 बउन्वान किशन  
आदि बनाम पुष्पाबाई आदि मे पारित किया गया तथा  
जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की जो अपर जिला  
कलौकटर मन्दसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक—9/2016-2017  
मे आदेश दिनांक—27.03.2017 को क्षेत्राधिकार के अभाव  
मे निरस्त फरमायी गई है।

श्रीमानजी,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है—

—प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य—

*(Signature)*

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1809

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	